न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 56 / 2019

वादी

01. भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह
02. माधुसिंह पुत्र किशोरसिंह निवासीयान— धांगड़वास, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

01. भैरूसिंह पुत्र गणपतसिंह
02. हीरसिंह पुत्र गणपतसिंह
03. नारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह जातियान— राजपूत, निवासीयान— धांगड़वास, तहसील— सोजत, जिला— पाली।
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि— धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक व दो उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 04/10/2023

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के दादा मुकनसिंह पुत्र रावतसिंह की हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम धांगड़वास पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत में खसरा संख्या 110,128,1945,656 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.2300 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की भूमि आई हुई स्थित है। वादीगण के दादा मुकनसिंह के के तीन पुत्र किशोरसिंह, मोहनसिंह व गणपतसिंह है, जिनमें किशोरसिंह के दो पुत्र भंवरसिह एवं माधुसिंह है तथा गणपतसिंह के दो पुत्र हीरसिंह व भैरूसिंह है और मोहनसिंह ला औलाद है। इसके अलावा मुकनसिंह के अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नहीं है। मुकनसिंह के स्वर्गवास के पश्चात वादस्थ कृषि भूमि में किशोरसिंह, मोहनसिंह एवं गणपतसिंह का नाम जरिए नामान्तरण संख्या 27, 28, 29 के जरिए राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज किया गया। जिस नामान्तरण में मुकनसिंह के उपरोक्त वारिस शामिल है। नामान्तरण संख्या 27, 28, 29 दिनांक 30.01.1983 के आधार पर जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 को तैयार करते समय राजस्व अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाते हुए बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किए बिना माफिक नामान्तरण अनुसार जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं कर गणपतसिंह के स्थान पर नारायणसिंह एक अजनबी व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि राजस्व अधिकारियें को बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किए बिना अन्य किसी भी व्यक्ति का नााम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उसके बावजूद राजस्व अधिकारियें के द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार गणपतसिंह के स्थान पर नारायणसिंह नाम दर्ज कर दिया जो एक सद्भाविक त्रुटि भी हो सकती है। उसी जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में कॉलम संख्या 13 से 17 में नोट अंकित कर भंवरसिंह, माधुसिंह पिसरान किशोरसिंह एवं गणपसिंह पुत्र मुकनसिंह नाम दर्ज कर शुद्धि किया गया एवं मोहनसिंह पुत्र मुकनसिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से मोहनसिंह का हिस्सा किशोरसिंह एवं गणपतसिह के नाम दर्ज कर मोहनसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया। जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 में अंकित नोट के अनुसार अगली जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 तैयार की जानी चाहिए थी लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 को तैयार करते समय पुनः प्रतिवादी संख्या 3 नारायणसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व रेकर्ड में किशोरसिंह एवं गणपतसिंह का नाम ही दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण संख्या 3 नारायणसिंह जो कि एक अजनबी व्यक्ति है, जिस नाम का कोई

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

व्यक्ति ग्राम धांगड़वास में नही है और न ही नारायणसिंह के नाम की कोई भी संतान मुकनसिंह है। जबकि राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किए बिना ही जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 एवं जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में प्रतिवादी संख्या 03 नारायणसिंह का नाम दर्ज कर एक अजनबी व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण नामान्तरण संख्या 27, 28, 29 के अनुसार जमाबंदी में नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल ही गलत तरीके से एक अजनबी व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में वक्त सैटलमेन्ट मुकनसिंह के स्थान पर वादीगण के पिता किशोरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के पिता गणपतसिंह एवं मोहनसिंह का नाम दर्ज सुदा है। लेकिन सेटलमेन्ट के पश्चात् जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 एवं 2050 से 2053 को तैयार करते समय राजस्व अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाते हुए बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किए बिना ही बिल्कुल गलत एवं मनमर्जी अनुसार एक अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जबकि राजस्व अधिकारियों को किसी भी अन्य अजनबी व्यक्ति के नाम खातेदारी इन्द्राज का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी संख्या 3 नारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह के नाम का अन्य कोई व्यक्ति धागड़वास में नही है। मात्र राजस्व अधिकारियों की गलती की वजह से जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 एवं 2050 से 2053 को तैयार करते समय नारायणसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जिसे वादीगण पनः दुरूस्त करवा कर, प्रतिवादीगण संख्या 3 का नाम हटवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह वाद पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 01.03.2019 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 3 नाऱायणसिंह अजनबी व्यक्ति का नाम दर्ज सुदा है। नारायणसिंह नाम के मुकनसिंह के नाम के कोई संतान नहीं थी। मुकनसिंह के किशोरसिंह, मोहनसिंह एवं गणपतसिंह ही विधिक उतराधिकारी थे। जिनके अलावा मुकनसिह के अन्य कोई उतराधिकारी नहीं थे। वादगीगण द्वारा नारायणसिह का नाम राजस्व रेकर्ड में हटाने हेतु प्रतिवादी संख्या चार तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार सोजत के द्वारा उक्त संशोधन से साफ इंकार कर देने से वाद कारण बमुकाम ग्राम धांगड़वास तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ जो अंदर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धांगड़वास तहसील सोजत खसरा संख्या 110,128,194,656 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.2300 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 नारायणसिंह का नाम हटवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किए जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2043 से 2049, 2050 से 2053, 2050 से 2061, 2066 से 2069 तथा नामांतरण संख्या 27, 28, 29 की प्रमाणित प्रतिया, वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतियां पेश की। बयान वादी भंवरसिंह पीडब्ल्यू 01 के कलमबद्ध करवाए जाकर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, गवाह बयान, जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादीगण तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा धांगड़वास तहसील सोजत खसरा संख्या 110,128,194,656 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.2300 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 नारायणसिंह का नाम हटवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किए जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात तथा गवाह के बयानों का गहनतापूर्वक अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

गया एवं बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 27 में अंकित राजरा वंशावली में मुकनसिह के तीन पुत्र किशोरसिंह , मोहनसिंह, गणपतसिंह बताये गये है। किशोरसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह व माधोसिंह बताये गये है। इस राजरा वंशावली में नारायणसिंह नाम से मुकनसिंह का कोई पुत्र अंकित नही है। जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यो की पुष्टि होती है। मुकनसिह के पुत्र मोहनसिंह का लाऔलाद फोत हो जाने से इनके हक अधिकार किशोरसिह व गणपतसिंह के विधिक वारिसानों में समाहित हो चुके है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा धांगड़वास तहसील सोजत खसरा संख्या 110,128,194,656 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.2300 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 नारायणसिंह का नाम हटवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धांगड़वास तहसील सोजत खसरा संख्या 110,128,194,656 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.2300 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 नारायणसिंह का नाम हटाया जाता है तथा मोहनसिह ला औलाद फोत होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिए जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिव किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जोगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 04/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

(गोपाल जोगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली